**भारत सरकार**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**

**खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1952**

**03 मार्च, 2020 के लिए प्रश्न**

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थी**

**1952. श्री बिद्युत बरन महतो:**

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**

**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**

**श्री गजानन कीर्तिकर:**

**श्री सुधीर गुप्ता:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बीपीएल और एपीएल श्रेणियों से संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की समीक्षा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सचिवों द्वारा भी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को केवल देश के पात्र वर्गों के लिए कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)**

**(क):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में केवल दो श्रेणियों अर्थात- अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लगभग 80 करोड़ व्यक्ति कवर किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के तहत लाभार्थियों की कोई श्रेणी नहीं है।

.....2/-

(ख) से (ड.): फिलहाल विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई के लिए कवरेज प्रदान करता है अर्थात 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी अधिनियम के अधीन राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें राशन कार्ड जारी करने का काम संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का होता है।

******